

Form No. III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज)

फर्दअहकाम

(नियम 26)

ब0उ0 - मेहरुदीन बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या :- 38/2022 किस्म मु0 :- धारा 136 भू0 राजस्व अधि0, 1956	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	---	--

23-05-2025

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत, फुल्लावास का पत्र दिनांक 21.05.2025 व सहखातेदार समसूदीन पुत्र भागमल का शपथ पत्र पेश जो शामिल पत्रावली हो। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपस्थित अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधि0 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नंबर 972रकबा 0.13है0, 973 रकबा 0.08है0, 974 रकबा 0.08है0, 975 रकबा 0.16है0, 977 रकबा 0.15है0, 978 रकबा 0.15है0, 979 रकबा 0.15है0, 980 रकबा 0.25है0 वाके ग्राम बेरला तहसील तिजारा में प्रार्थी का गलत नाम मुहरुदीन पुत्र भागमल व पता सा. देह अलापुर जटट हजफ किया जाकर सही नाम व पता मेहरुदीन पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम बडगांव, बूंदी रोड कोटा, जिला कोटा (राज) किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावे। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार, तिजारा से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान भू-राजस्व अधि0, 1956 की धारा 136 के तहत मुहरुदीन पुत्र भागमल के स्थान पर मेहरुदीन पुत्र भागमल जाति मेव के पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत सरपंच, ग्राम पंचायत, फुल्लावास का पत्र दिनांक 21.05.2025 व सहखातेदार समसूदीन पुत्र भागमल का शपथ पत्र में मेहरुदीन उर्फ मुहरुदीन पुत्र भागमल एक ही व्यक्ति का नाम होना बताया है एवं राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संबंध में उपस्थित अधिवक्ता को सुना जाकर, पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस का मनन किया गया। प्रकरण में प्राप्त तहसीलदार, तिजारा की रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024 व सहखातेदार समसूदीन व सरपंच, ग्राम पंचायत, फुल्लावास का पत्र दिनांक 21.05.2025 अनुसार प्रार्थी मेहरुदीन का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य है।

अतः आदेश है कि -

प्रार्थी. मेहरुदीन पुत्र भागमल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 972रकबा 0.13है0, 973 रकबा 0.08है0, 974 रकबा 0.08है0, 975 रकबा 0.16है0, 977 रकबा 0.15है0, 978 रकबा 0.15है0, 979 रकबा 0.15है0, 980 रकबा 0.25है0 वाके ग्राम बेरला तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राज) में प्रार्थी के नाम व पता के गलत अंकन मुहरुदीन पुत्र भागमल व पता सा. देह अलापुर जटट को हजफ किया जाकर, सही नाम व पता मेहरुदीन पुत्र भागमल जाति मेव निवासी ग्राम बडगांव वावडी, बूंदी रोड, कोटा जिला कोटा (राज) किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली वाद निर्णय तकमील नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 23/05/2025 को लिखवाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजीव कुमार शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी, तिजारा
जिला खैरथल-तिजारा (राज)